न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 2925 सन् 2026

भरत उर्फ भरत नान्दल पुत्र अमित, निवासी ग्राम रामगढ़ी, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः— 495 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः—109(1) व 352 बी0एन0एस0
थानाः—खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

—:: निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र ::—

01. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना—पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

03. आवेदक/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कहा गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होने कोई अपराध कारित नहीं है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन कथनों के आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

04. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा श्री अनुज कुमार ने थाना हाजा पर सूचना दी कि वादी दिनांक 23.05.2026 को सुबह 07.30 बजे पैतृक गांव फिरोज से बुलन्दशहर जाने क लिए निकला, तो एक वैगनार कार संख्या यू.पी.13 बी बाई 7580 ने फिरोजपुर गांव के मोड से वादी के पीछे चलना शुरू किया और जाहिदपुर की मैंन सड़क से पहले उसे ओवरटेक करके रोक लिया, गाड़ी में मौजूद व्यक्ति के द्वारा वादी गाली गलौंच की और उसे जान से मारने की नीयत से एक तमंचा को निकाल उस पर फायर झोंक दिया। वादी अपनी जान बचाकर खुर्जा की तरफ जल्दी से आ गया और अपने परिवार को जानकारी दी। उक्त लड़के के अपना नाम भरत बताया तथा गांव का नाम रामगढ़ी बताया है। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है।

06. अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

07. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा पर जान से मारने की नीयत से फायर कर गाली गलौंच करने का आरोप अभिकथित है।

इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि प्राथमिकी के अनुसार वादी को कोई चोट नहीं आयी है और नही घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी है। घटनास्थल से कोई पैलट्स व खोखा कारतूस बरामद नहीं हुआ है। वादी द्वारा जो घटनास्थल दर्शित किया गया है, वह जेवर से खुर्जा के लिए मैन रास्ता है, जहां पर हर एक किलोमीटर की दूरी 112 नम्बर पुलिस जीप सुरक्षा हेतु तैनात रहती है।

प्रस्तुत प्रकरण में किन्तु कथित फायर से वादी को कोई चोट आना दर्शित नहीं है। यद्यपि आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है, परन्तु दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई कथन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है। इस स्तर पर अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.06 17:33:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदक/ अभियुक्त का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र विचारण की समाप्ति तक स्वीकार किये जाने का आधार पाता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

01. अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
02. अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।
03. अभियुक्त अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
04. अभियुक्त आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगा।
05. अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अविलम्ब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।
06. अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहगो तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
07. आवेदक/अभियुक्त विवेचना व विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त इस अपराध में गिरफ्तार किया जाता है अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करता है, तो अभियुक्त के द्वारा अंकन 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा इतनी धनराशि के दो संतोषजनक प्रतिभू, प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त आदेश की दिनांक से अन्दर 15 दिन जमानतनामें दाखिल करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर व जिला शासकीय अधिवक्ता–फौ0 को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 06.06.2026
सत्यप्रकाश सक्सैना–पी0ए0.

आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015